बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

राज्य योजना–राज्यांश

संचिका संख्या– ICDS/20020/05-2016/593/ (आवंटनादेश संख्या 89/2016–17)

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर,भा.प्र.से.
निदेशक, आई.सी.डी.एस.।

सेवा में,

सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी।

पटना, दिनांक – 20/02/2017

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 मे राज्य योजना–राज्यांश मद (विपत्र कोड P2235021020322) से विभिन्न कोटि के आई.सी.डी.एस. कर्मियों के प्रशिक्षण (For Training of District Level Master Trainers and Training for Anganwadi Workers (Phase-1) for Early Childhood Care Education (ECCE) Training) के निमित ₹2,66,49,544/- (₹ दो करोड़ छियासठ लाख उनचास हजार पॉच सौ चौवालीस) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

समाज कल्याण विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0–18/2016–17 का पत्रांक 464 दिनांक 14.02.2017 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना–राज्यांश मद में आई.सी.डी.एस. कर्मियों के प्रशिक्षण (For Training of District Level Master Trainers and Training for Anganwadi Workers (Phase-1) for Early Childhood Care Education (ECCE) Training) के निमित संलग्न विवरणी के अनुसार ₹2,66,49,544/- (₹ दो करोड़ छियासठ लाख उनचास हजार पॉच सौ चौवालीस) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु राज्य स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, बिहार, पटना एवं जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. कुल भारित व्यय की राशि ₹2,66,49,544/- (₹ दो करोड़ छियासठ लाख उनचास हजार पॉच सौ चौवालीस) मात्र वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना–राज्यांश के अन्तर्गत मॉग संख्या–51 के अधीन आय व्ययक बजट शीर्ष खंड–II-8000 आकस्मिकता निधि, मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–102–बाल कल्याण–0322–एकीकृत बाल विकास सेवाऍ' (आई.सी.डी.एस.), के विपत्र कोड– P2235021020322, PFMS Code-9197 के प्रशिक्षण व्यय (20 03) के अन्तर्गत विकलनीय है।

4. प्रशिक्षण (For Training of District Level Master Trainers and Training for Anganwadi Workers (Phase-1) for Early Childhood Care Education (ECCE) Training) मद में होने वाले व्यय प्रशिक्षण शाखा के Budgetary Provision for Training on ECCE (प्रति संलग्न) के निदेशों का शत्–प्रतिशत अनुपालन कर व्यय करने की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. प्रशिक्षण मद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात राज्य योजना–केन्द्रांश:राज्यांश (60:40) में व्यय किया जायेगा।

6. बिहार वित्तीय नियमावली में निहित सुसंगत वित्तीय प्रावधानों तथा स्वीकृत्यादेश में उल्लिखित निदेशों/शर्त्तो, सुसंगत विभागीय एवं वित्तीय प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए आवंटित राशि का नियमानुकूल निकासी एवं व्ययन सुनिश्चित करना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

7. आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 41 वि (2) दिनांक 03.01.2002, पत्रांक 423/वि0 दिनांक 31.03.2016, पत्रांक 2793/वि0 दिनांक 04.04.2016, पत्रांक 4572/वि0 दिनांक 03.06.2016 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

8. चुंकि यह चालू योजना है, अतः इसमें महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. महालेखाकार, बिहार, पटना एवं संबंधित पदाधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गयी है।

विश्वासभाजन

(रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर)
निदेशक, आई.सी.डी.एस.

ज्ञापांक– ICDS/20020/05-2016/593/दिनांक – 20/02/2017

प्रतिलिपि –महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग, (बजट शाखा)/प्रशिक्षण पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, आई.सी.डी.एस.

ज्ञापांक– ICDS/20020/05-2016/593/दिनांक – 20/02/2017

प्रतिलिपि – सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, आई.सी.डी.एस.

निदेशक, आई.सी.डी.एस.